बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र07–विविध–02/2018– 5147 खाद्य, पटना/दिनांक– 29/10/18

प्रेषक,

चन्द्रशेखर, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान का अनुज्ञा–पत्र में निहित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व का अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा जिलों में भ्रमण के क्रम में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान के निरीक्षण के क्रम में यह पाया जा रहा है कि सूचना पट्ट अत्यन्त ही पुराना, टुटे–फुटे होते है एवं अस्थायी रूप से टांगे जाते हैं, जबकि **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की अनुसूची–3 के कंडिका–4 में उल्लेख है कि अनुज्ञप्तिधारी प्रतिदिन दुकान निर्धारित अवधि में खुला रखेगा तथा "सूचना पट्ट" दुकान के बाहर एवं "मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पट्ट" दुकान के अंदर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करने का प्रावधान है** । इसी प्रकार कंडिका–17, 18 एवं 19 में भंडारण/सही वजन एवं माप में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने का प्रावधान है, परन्तु इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

सूचना पट्ट तथा दुकान के भीतर **मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पट्ट**, जिसमें दैनिक आधार पर **खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं की मात्रा, निर्गम का परिमाण, खुदरा निर्गम मूल्य, उचित मूल्य की दुकान खोलने एवं बन्द करने का समय, मास के दौरान प्राप्त खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं का स्टॉक**, खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं का वितरण के पश्चात् **शेष भंडार, खाद्यान्नों की गुणवत्ता, राशन कार्ड का प्रकार**, सम्बद्ध दुकान से **राशन कार्ड की संख्या/ईकाई, लाभुकों की सूची, आवंटित खाद्यान्न/किरासन तेल की मात्रा एवं निर्धारित दर** आदि अंकित नहीं किया जा रहा है, जिससे उनके दुकान से सम्बद्ध उपभोक्ताओं को यह जानकारी नहीं मिल पाती है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान से किस माह का खाद्यान्न/किरासन तेल की मात्रा एवं किस दर पर आपूर्ति की जा रही है। साथ ही, उपभोक्ताओं के **शिकायतों के निपटारा के लिए सम्बन्धित पदाधिकारी का टेलिफोन नं0, पता** आदि सूचना पट्ट पर अंकित नहीं की जा रही है। जाँच के क्रम में यह भी पाया जा रहा है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के द्वारा उपभोक्ताओं का राशन कार्ड अपने पास रख लिया जा रहा है तथा कैशमेमो भी निर्गत नहीं किया जा रहा है, जो **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका–14(iii), (iv) एवं (v) का स्पष्ट उल्लंघन है। कैशमेमो** में उपभोक्ता का नाम एवं पता, दिनांक, कैशमेमो का क्रमांक, राशन कार्ड संख्या, राशन कार्ड का प्रकार, ईकाई, वजन/माप, दर, प्राप्त राशि, उपभोक्ता का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान एवं दुकानदार का हस्ताक्षर होना चाहिए।

भ्रमण के दौरान यह भी पाया गया है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा दुकान से **सम्बन्धित मूल अनुज्ञप्ति**, सभी **आवश्यक पंजी** (यथा–भंडार पंजी, वितरण पंजी, कैशमेमो, निरीक्षण पुस्तिका, उपभोक्ता शिकायत/सुझाव पुस्तिका आदि) का संधारण, माप–तौल विभाग से **वार्षिक सत्यापित वाट एवं परिमापक** नही रखा जा रहा है।

दुकान का व्यापार स्थल भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के आवंटन के अनुरूप नही रखा जाना एवं खाद्यान्न का भंडारण प्रतिमाह योजनावार नही होना, जिससे यह पता चल सके कि लाभार्थियों को किस माह का खाद्यान्न जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान में उपलब्ध है तथा किस माह का खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। कुछ जगहों पर खाद्यान्न के साथ–साथ किरासन तेल का भी भंडारण किया जा रहा है, जो कि **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016** के **अनुसूची–03** की **कंडिका–17 एवं 18** के विपरीत है। किरासन तेल एक ज्वलनशील पदार्थ है, इसे कम से कम 10 फीट की दूरी पर भंडारित किया जाय। निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा प्रतिमाह जन वितरण प्रणाली के दुकानों का निरीक्षण के क्रम में यह भी आश्वस्त हो लेंगे कि खाद्यान्न के बचाव के लिए Platform बनाकर खाद्यान्न का भंडारण, नमी, वर्षा, कीटों, आग से बचाव एवं दिवारों की मरम्मति/पेंट आदि की व्यवस्था की गयी है या नहीं।

लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा **वितरित खाद्यान्न/किरासन तेल की मात्रा की प्रविष्टि करने के बजाय राशन कार्ड में (√) मार्क एवं अन्य चिन्हों** का प्रयोग किया जा रहा है तथा **अंगूठे का निशान** अंकित किया जा रहा है, जिससे लाभुकों एवं निरीक्षी पदाधिकारी को वितरित खाद्यान्न की मात्रा एवं प्राप्तकर्त्ता की सही जानकारी नहीं हो पाती है एवं खाद्यान्न के गबन इत्यादि की संभावना बनी रहती है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा आपूर्ति किये गये खाद्यान्न/किरासन तेल की मात्रा राशन कार्ड एवं वितरण पंजी में अंगूठे के निशान के साथ–साथ प्राप्तकर्त्ता का नाम अंकित नही किया जाना "**बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016**" के **अनुसूची–03 की कंडिका–06, 08 एवं 10 का उल्लंघन है।**

अतः अनुरोध है कि दो माह के अंदर सभी अनुज्ञप्तिधारी को नोटिस निर्गत कर व्यापार/भंडारण स्थल को आवासीय भवन से अलग करायी जाय। इस संबंध में पूर्व से निर्गत अनुज्ञप्ति में व्यापार स्थल में अंकित चौहद्दी भी बदल जाने की संभावना है। ऐसी स्थिति में नई अनुज्ञप्ति के व्यापार स्थल के Longitude and latitude के आधार पर दुकान का Maping कराकर उनकी अनुज्ञप्ति में व्यापार स्थल की चौहद्दी अंकित कराया जाय। जन वितरण प्रणाली दुकानों पर लाभार्थियों के आने पर बैठने के उचित व्यवस्था के साथ पक्का स्थल Hygenic एवं गंदगीमुक्त हो, ताकि खाद्यान्न सामग्री प्राप्त करने में उनको किसी भी तरह की असुविधा/परेशानी न हो। किसी भी परिस्थिति में टुटे–फुटे व्यापार स्थल, झोपड़ीनुमा, मिट्टी या कच्चे सतह एवं दिवारों के व्यापार स्थल को अविलम्ब पक्के एवं अच्छे स्थलों पर स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में एक कार्यशाला का आयोजन कराया जाय, जिसमें अपने अधीनस्थ पदाधिकारी एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को अपने कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के साथ–साथ विभाग स्तर पर समय–समय पर निर्गत निदेश/प्रावधानों के संबंध में अवगत कराया जा सके। साथ ही, इस कार्यशाला में नई अनुज्ञप्तिधारियों को भी शामिल किया जाय, ताकि उन्हें भी उक्त की जानकारी हो सके।

विश्वासभाजन,
29/X/XVIII
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–विविध–02/2018– 5147 खाद्य, पटना/दिनांक– 29/10/18
प्रतिलिपि – सभी उप निदेशक (खाद्य)/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/X/XVIII
सरकार के अपर सचिव।

D:\M_2018\Sec_7\PDS letter.doc